छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 807/2007

1. **श्री राकेश शुक्ला,** - *अपीलार्थी*
जवाहर वार्ड, बालानी चौक,
मुंगेली, जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, मुंगेली,
जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 15 अप्रैल, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राकेश शुक्ला ने दिनांक 03.06.2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.07.2006 को प्रस्तुत की गई, किन्तु उसके बाद भी सूचना नही मिलने के कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 19.04.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में बताया गया कि जानकारी दी जा रही थी लेकिन अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार किया गया और रजिस्टर्ड डाक से जानकारी भेजने के निर्देश दिये गये, किन्तु अपीलार्थी को समक्ष में जानकारी दिलवाई गई और अपीलार्थी द्वारा उक्त जानकारी को अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण बतलाया गया । अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली को 15 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उनके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को उपस्थित हुये, अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । प्रकरण में अपीलार्थी ने स्वयंमेव प्रमाणित करके कार्यालय जनपद पंचायत के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता कमांक 18465 के विवरण की प्रति प्रस्तुत की है, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि बैंक में कोई भी खाता संचालित नही है । चूंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सूचना के बावजूद उपस्थित नही हुये और उन्होंने उत्तर भी प्रस्तुत नही

किया है, अतः यह मानकर कि इस संबंध में उन्हें कुछ नही कहना है, अतः त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए उनके विरूद्ध प्रस्तावित शास्ति को थोड़ा कम करते हुए पांच हजार रूपये शास्ति अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत आरोपित की जाती है । साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भी यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे पंजाब नेशनल बैंक, मुंगेली का जो खाता क्रमांक 18465 बताया गया है, इस संबंध में पूरी जांच करे और यदि अन्य कोई वित्तीय अनियमिततायें इस संबंध में पाई जाती है तो अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत यह भी अनुशंसा की जाती है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करे । साथ ही त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत जनपद पंचायत की ओर से राशि 200/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त